

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 208 / 2014 / अजमेर.

मैसर्स पोखरणा इण्डस्ट्रीज,
इण्डस्ट्रियल एरिया रोड, बिजयनगर, अजमेर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बांसवाड़ा.

.....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

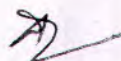
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20 / 04 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 145 / 12-13 / वैट / ब्यावर / अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 02.12.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बांसवाड़ा (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 17.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 16.09.2012 को वाहन संख्या आर.जे.27 / जीए-1455 को एन.एच. 8, रतनपुर जिला डूंगरपुर में चैक किया जाने पर वाहन में 'कन्वेयर बैल्ट' मेहसाणा (गुजरात) से बिजयनगर (राजस्थान) के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 0596349 प्रस्तुत किया गया। उक्त घोषणा पत्र विभाग से दिनांक 17.08.2007 को जारी किया हुआ है, जो कि चैकिंग दिनांक को लगभग 37 माह कालातीत था। अतः व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा भूलवश उक्त घोषणा पत्र लगा देना जाहिर किया एवं नया घोषणा पत्र संख्या ए-1336510 प्रस्तुत किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त



लगातार.....2

जवाब एवं नये घोषणा पत्र को अस्वीकार करते हुए माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिनांक 17.09.2012 पारित करते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,76,187/- का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। दस्तावेजों के अनुसार ही माल का परिवहन किया जा रहा था। भूलवश घोषणा प्रपत्र वैट-47 कालातीत संलग्न कर दिया गया, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। सक्षम अधिकारी के कारण बताओ नोटिस की पालना में नया घोषणा पत्र वैट-47 भी प्रस्तुत कर दिया गया, जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना हो जाती है। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5. प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2012 को जांच करने पर अनिवार्य घोषणा पत्र वैट-47 संख्या 0596349 संलग्न पाया था परन्तु वह विभाग से दिनांक 17.08.2007 अर्थात् पांच वर्ष पूर्व जारी किया हुआ था जिसकी वैधता दिनांक 17.08.2010 को समाप्त हो गयी थी। इस वैधता समाप्ति के पश्चात् इसकी वैधता को आगे बढ़ाने का भी कोई प्रावधान नहीं था। इस तरह दिनांक 17.08.2010 के पश्चात् इस घोषणा पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को नया घोषणा पत्र वर्ष 2010 के बाद आवश्यकता होने पर जारी करवाया जाना आवश्यक था परन्तु उक्त विवादित संव्यवहार के लिये अपीलार्थी ने वैधता समाप्त होने के बाद भी 2 वर्ष गुजर जाने के बाद इस घोषणा पत्र को उपयोग में लिया जाने का प्रयास किया गया



लगातार.....3

एवं जांच में इसे कालातीत पाये जाने पर सक्षम अधिकारी ने अविधिक पाया तब सुनवाई का अवसर देने पर अपीलार्थी द्वारा नवीन घोषणा पत्र संख्या ए-1336510 जारी दिनांक 29.08.2012 भरकर प्रस्तुत करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2001) 124 एस.टी.सी. 611 मैसर्स डी.पी.मैटल्स का दृष्टान्त देते हुए शास्ति से मुक्ति चाही गयी।

6. कर निर्धारण अधिकारी ने माल के परिवहन के समय कालातीत घोषणा पत्र प्रस्तुत किये जाने को तकनीकी त्रुटि नहीं माना एवं जो नया घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था उसे इस आधार पर अस्वीकृत किया गया कि जांच के बाद तैयार किये गये घोषणा पत्र में Consignor की जगह पर Consignee एवं Consignee की जगह Consignor का नाम अंकित किया है। माल की मात्रा एवं वजन नहीं लिखे हैं। इस तरह सक्षम अधिकारी के पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने आदेश को इस आधार पर यथावत रखा है कि जो नया घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें प्रविष्टियों को गलत भरना एवं मात्रा व वजन नहीं भरने से नया फॉर्म स्वीकृत योग्य नहीं है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की गई है।

7. मेरे द्वारा सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश में दिये गये कारणों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दोनों ही घोषणा पत्रों का अवलोकन किया गया।

8. इस प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी का माल वेट नियम, 2006 के नियम 53 के तहत अधिसूचित होने से अन्तर्राज्यीय आयात पर माल के परिवहन के दौरान घोषणा पत्र वेट-47 को संलग्न किया जाना अनिवार्य था। अपीलार्थी को इसकी विधिक जानकारी थी एवं अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2007 से ही अर्थात् इस प्रकरण से पूर्व पांच वर्षों से यह जानकारी थी तभी वर्ष 2007 में ये घोषणा पत्र विभाग से प्राप्त किये गये थे जिसमें से एक घोषणा पत्र इस संव्यवहार में संलग्न किया गया था जो वर्ष 2007 में जारी था जिसकी वैधता वर्ष 2010 तक ही होने से वह कालातीत हो चुका था।

9. वर्ष 2010 में उक्त प्रश्नगत घोषणा पत्र कालातीत होने के बावजूद इस संव्यवहार में यानि वर्ष 2012 में कार्य में लिया गया था। यह टिप्पणी करना इसलिए आवश्यक है कि तथ्यों के अन्वेषण में सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा यह गहनता से नहीं देखा गया कि अपीलार्थी ने माल के परिवहन में जांच पर यह तथ्य उजागर होने पर जो नया घोषणा पत्र दिया है



लगातार.....4

वह इस जांच की दिनांक से 18 दिवस पूर्व दिनांक 29.08.2012 को (जांच दिनांक 16.09.2012) जारी करवाया हुआ था एवं दोनों अवर अधिकारियों की नजर केवल यहां तक सीमित रही कि जो नया फॉर्म दिया गया है वह इसलिए अस्वीकार योग्य है कि नये फॉर्म में कुछ प्रविष्टियों में नाम सही जगह नहीं थे एवं मात्रा का कॉलम खाली था एवं शास्ति आरोपित करने के लिये इस आधार को माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सही माना गया। मेरा यह मत है कि नया फॉर्म प्रस्तुत करने के समय यदि कोई प्रविष्टि रह भी जाये तो वह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह फॉर्म स्वयं सक्षम अधिकारी को दिया जा रहा है तब सक्षम अधिकारी उसे पूर्ण भरकर देने का निर्देश दे सकते हैं एवं यह कहना उचित होगा कि किसी भी राजकीय फॉर्म को अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः पेश करते समय उसे पूरा और सही पूर्ण कर देने का निर्देश दिया जाना अनिवार्य है जैसा कि किसी भी राजकीय फॉर्म को देने के समय यह निर्देश दिये जाते हैं। इस प्रकरण में यह सही है कि नया फॉर्म दिया गया और उसमें भी अति-आवश्यक सभी प्रविष्टियां भरी हुई थी ऐसी हालत में केवल कमी के आधार पर यह फॉर्म अस्वीकृत योग्य नहीं था।

10. इस प्रकरण की गहनता से जांच पर वास्तविक आर्थिक अपराध करने का जो कृत्य किया गया है उसे रिकॉर्ड पर लाना आवश्यक है एवं इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दोनों निर्णय मैसर्स डी. पी. मैटल्स एवं मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज का अध्ययन किया जाना प्रासंगिक है कि इन निर्णयों में क्या विधि प्रतिपादित की गई है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सर्वप्रथम जो घोषणा पत्र दिनांक 17.08.2007 का जारी किया हुआ संलग्न किया गया था वह कालातीत था एवं पत्रावली पर यह साक्ष्य भी उपलब्ध है कि अपीलार्थी के पास इस प्रकरण के पूर्व ही वैध घोषणा पत्र उपलब्ध थे क्योंकि इस माल के आयात के लिये घोषणा पत्र प्रेषक को भिजवाने से पूर्व यानि दिनांक 15.09.2012 (बिल दिनांक 15.09.2012) के पूर्व ही 29.08.2012 को अपीलार्थी ने वैध घोषणा पत्र विभाग से प्राप्त कर लिये हुए थे जो कि जांच में अभियोग बनाये जाने पर दिनांक 17.09.2012 को जो घोषणा पत्र पेश किया है वह दिनांक 29.08.2012 को जारी किया हुआ था अर्थात् माल के आने के 18 दिन पूर्व उसके पास वैध घोषणा पत्र था परन्तु अपीलार्थी ने वैध घोषणा पत्र प्रेषक व्यवहारी को भेजने के बजाय पांच वर्ष पूर्व जारी घोषणा पत्र जो वर्ष 2007 में जारी था एवं 2010 में कालातीत हो चुका था, वह भेजा गया जबकि कालातीत हो चुके घोषणा पत्र विभाग में समर्पित किये जाने चाहिये थे परन्तु अपीलार्थी ने वे घोषणा पत्र



लगातार.....5

विभाग में जमा करवाने के बजाय स्वयं के पास ही रखा। यह एक पूर्ण एवं प्रमाणित साक्ष्य था कि अपीलार्थी ने वर्ष 2010 के बाद विभाग से नये घोषणा पत्र प्राप्त किये हुए थे और अवैध रूप से पुराने अवधिपार फॉर्म विभाग को नहीं लौटाये गये जबकि नियमानुसार नये फॉर्म प्राप्त करने से पूर्व पुराने फॉर्म का लेखा देना भी आवश्यक होता है एवं कालातीत फॉर्म को विभाग से समर्पित करना भी आवश्यक था जो रद्द कर विभागीय पत्रावली पर रखे जाते।

12. इस प्रकरण में इस तथ्य का उल्लेख करना उचित प्रतीत हो रहा है कि माल के परिवहन पर जांच होने एवं अभियोग स्थापित होने पर उससे बचाव करने का भी पूर्ण विधिक ज्ञान था। इस प्रकरण में जैसा कि ऊपर वर्णित कर दिया है कि व्यवसायी को स्वयं को यह पूर्ण जानकारी थी कि उसका फॉर्म कालातीत है एवं उसके पास वैध फॉर्म उपलब्ध थे परन्तु वैध फॉर्म के बिना ही माल प्राप्त करने की योजना के तहत दो वर्ष पूर्व ही कालातीत हो चुके फॉर्म के विभाग को लौटाये बिना उसे काम में लिया गया एवं पकड़े जाने पर इसे एक तकनीकी भूल बताते हुए एक नया फॉर्म तुरन्त पेश कर दिया जो पहले से ही उसके पास उपलब्ध था साथ ही पूरे विधिक तर्क के साथ प्रथम नोटिस पर ही व्यवहारी ने स्वयं ने एक पत्र पेश किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स डी.पी.मैटल्स के अनुसार नया फॉर्म स्वीकार किया जाना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा दिये गये पत्र का अक्षरशः उल्लेख निम्न है :-

“सेवा में,

श्रीमान सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उदयपुर

विषय :- वाहन सं. RJ 27 GA 1455 VAT 47 पेश करने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वाहन सं. RJ 27 GA 1455 द्वारा हमने रवि इन्जिनियरिंग कड़ी बिल नं. 12, 13/16 दिनांक 15.9.12 से माल मंगवाया है। जिसके साथ वेट 47 फार्म नं. 0596349 संलग्न है।

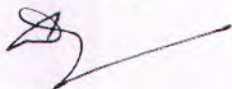
जो अवधि पार है पार्टी को ज्ञान न होने के कारण संलग्न किया गया है। हम आर ए वी टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। टीन नं. 08430151151

श्रीमान वाहन के साथ बिल बिल्टी, वेट 47 संलग्न है।

वेट 47 नं. 0596349 विभाग द्वारा जारी किया गया है एवं कर चोरी की मनोभावना नहीं है।

अतः नया वेट 47 पेश कर रहे हैं।

उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम डीपी मैटल ने यह नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी भूलवश कोई दस्तावेज संलग्न करने से रहा जाता है तो सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने पर यदि उक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।



लगातार.....6

श्रीमान अवधिपार घोषणा पत्र एक तकनीकी भूल है इसके अलावा घोषणा पत्र विभाग द्वारा जारी होता है। जिसके हिसाब कर निर्धारण के समय पेश करना होता है। जिससे कर देयता से बचा नहीं जा सकता एवं उक्त निर्णय के आधार पर अवधि पार घोषणा पत्र के आधार अधिनियम की धारा 78 5) के तहत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती

अतः श्रीमान से निवेदन है कि नया वेट 47 पेश कर रहे हैं जिसको स्वीकार करते हुए शमन की कार्यवाही निरस्त कराने के निर्देश दिलावे। कृपया आज ही फैसला कराने की कृपा करावें।

आदर सहित !

संलग्न :- नया वेट 47

भवदीय

No.-1336510

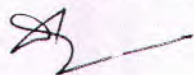
पोखरणा इण्डस्ट्रीज विजयनगर"

13. अपीलार्थी का उक्त उद्धरित पत्र स्वयं दर्शाता है कि व्यवहारी को यह ज्ञान है कि वह कालातीत फॉर्म का उपयोग कर रहा है जिसमें कोई तकनीकी भूल नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ने जानबूझकर फॉर्म लेने से पूर्व नियम 53(7)(एफ) के अनुसार "unused declaration" फॉर्म को surrender नहीं किया एवं इन घोषणा पत्रों का अविधिक उपयोग कर माल का आयात कर लिया गया जबकि उक्त पत्र में वह स्वयं यह लिखित ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन घोषणा पत्रों का हिसाब विभाग में पेश करना होता है जबकि उन्होंने नये घोषणा पत्र प्राप्त करते समय इन्हें समर्पित ही नहीं किया है, जो अनिवार्य था। इस तरह जानबूझकर कालातीत घोषणा पत्र को उपयोग किया जा रहा था जिसके लिये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आड़ में लाभ लेने का भी प्रयास किया गया है।

14. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में शास्ति से मुक्ति चाही गयी है परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के न्यायिक निर्णय एवं माननीय कर बोर्ड द्वारा कालातीत घोषणा पत्रों के बारे में दिये गये निर्णयों का हवाला दिया गया है कि सभी निर्णय ईमानदार एवं सद्भावी व्यवहारियों के पक्ष में दिये गये न्यायिक निर्णय हैं जिनका लाभ कर चोरी में लिप्त प्रमाणित साक्ष्यों के बाद उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी. पी. मैटल्स के मामले में सुनवाई का अवसर सम्बन्धी टिप्पणी निम्न प्रकार है :-

"....if by mistake some of the documents are not readily available at the time of checking principle of natural justice may require some opportunity being given to the same."



लगातार.....7

16. उक्त टिप्पणी के अनुसार जांच में यदि कुछ दस्तावेज नहीं पाये गये एवं वे "by mistake" संलग्न नहीं थे तो उन्हें प्रस्तुत करने की छूट दी गयी है परन्तु इस टिप्पणी के पूर्व दो स्थितियों को अलग-अलग दर्शाया है :-

(1) Such submission of false or forged documents or declaration at the checkpost or even thereafter can safely be presumed to have been motivated by desire to mislead the authorities.

(2) Similarly where despite opportunity having been granted under section 78(5) if the requisite documents referred to in sub-clause (2)(a) are not produced, even though this same should exist, would clearly prove the guilty intent."

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई दस्तावेज या बिना घोषणा पत्र के माल का परिवहन कर सकता है तथा जांच के बाद दस्तावेज पेश करने पर उन्हें शास्ति से उन्मुक्ति देनी अनिवार्य है। माननीय न्यायालय ने "If by mistake some of the documents are not readily available" अंकित किया है। यदि सुनवाई के बाद यह जानकारी होती है कि दस्तावेज by mistake नहीं छूटे थे बल्कि जानबूझकर छोड़ रखा था तब ऐसी स्थिति में भी शास्ति आरोपण से उन्मुक्ति देने का प्रयोजन नहीं है। सुनवाई में सद्भाविक mistake को दुरुस्त किया जा सकता है परन्तु पूर्ण जानकारी के साथ संव्यवहारों को लेखांकित नहीं करने के guilty intent के साथ यदि document एवं विशेषकर घोषणा पत्र को संलग्न नहीं किया गया है तो वे माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने guilty intent को मुक्ति नहीं दी है यदि यह प्रमाणित होता है।

18. माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष राजस्थान राज्य से ही सम्बन्धित इसी बिन्दु पर प्रस्तुत प्रकरण मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में पुनः उक्त डी. पी. मैटल्स के निर्णय की पूर्ण व्याख्या के साथ निर्णय दिया है कि जहां घोषणा पत्र संलग्न तो कर रहे हैं परन्तु यदि वे अपूर्ण हैं तब उन्हें धारा 78(2)(ए) की compliance नहीं मानी जायेगी।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय में घोषणा पत्र होना ही "sufficient" नहीं माना बल्कि उसके अनिवार्य प्रविष्टियों को भरा जाने पर ही विधिक compliance किया जाना माना है। इस निर्णय में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया है कि अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन पर शास्ति आरोपण के लिये दोषी मनोभाव (mensrea) की आवश्यकता नहीं है।



20. माननीय उच्चतम न्यायालय के दोनों निर्णय परिवहन में दस्तावेजों की अनिवार्यता पर एवं अधिनियम 1994 की धारा 78(2) के प्रावधान में रखी शर्तों की पालना पर केन्द्रित है। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष डी.पी.मैटल्स के निर्णय के बाद पुनः गुलजग इण्डस्ट्रीज (2007) 18 टैक्स अपडेट 321 का प्रकरण प्रस्तुत होने पर माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपूर्ण घोषणा पत्र या खाली घोषणा पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में शास्ति का आरोपण किया जाना विधिक है। माननीय न्यायालय ने डी.पी.मैटल्स के निर्णय को उसके तथ्यों के आलोक में पूरी तरह पृथक् करते हुए यह अवधारित किया है कि आर्थिक अपराध में Mensrea का बिन्दु पूर्णतया अप्रासंगिक है एवं अनिवार्य घोषणा पत्र पूर्ण भरा नहीं होने पर शास्ति आरोपणीय है।

21. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय **Agrotech Food Limited Vs. Acto FS, Bhadra (2017) 47 TUD Page 47** पर पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों निर्णयों की पूर्ण व्याख्या के साथ घोषणा पत्र अपूर्ण होने पर शास्ति के आरोपण को उचित माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **Agrotech Food Limited Vs. Acto FS, Bhadra (2017) 47 TUD Page 47** में समक्ष यह प्रश्न निहित था कि जांच के पश्चात् की दिनांक को प्राप्त किया गया घोषणा पत्र पेश करने से धारा 78(2) की पालना नहीं होती है।

22. माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट सिद्धान्त दिया गया है कि घोषणा पत्र की विधिक अनिवार्यता पूरी नहीं होने पर शास्ति आरोपणीय है। जिन मामलों में घोषणा पत्र अप्रस्तुत है वह निश्चित रूप से अपूर्ण घोषणा पत्र से अधिक गंभीर मामला है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपूर्ण घोषणा पत्र पर शास्ति आरोपणीय मानी है वहीं अप्रस्तुत घोषणा पत्र में यह अवसर देने का निर्देश (**D.P. Metals निर्णय**) दिया है कि "by mistake" कुछ दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुए हैं तो प्रस्तुत करें परन्तु इसका तात्पर्य कदापि यह नहीं रहा है कि माल का परिवहन बिना घोषणा पत्र किया जा सकता है एवं जांच के बाद प्रस्तुत किया जाने पर कोई अभियोग नहीं होगा जबकि अपूर्ण घोषणा पत्र के बजाय पूर्णतया अप्रस्तुत घोषणा पत्र का मामला अधिक गंभीर है एवं वहां केवल यह अवसर दिया जाने का निर्देश है कि घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेज परिवहन में संलग्न थे परन्तु भूल से रह गये हैं एवं वे घोषणा पत्र एवं दस्तावेज पर्याप्त कारण सहित पेश किये जा सकते हैं परन्तु इस निर्णय का उपयोग एक नियम की तरह काम में नहीं लिया जा सकता एवं बिना किसी घोषणा पत्र के ही परिवहन करने की आज्ञा प्रदान नहीं



लगातार.....9

करता है बल्कि ऐसे मामलों में जहां जानबूझकर घोषणा पत्र संलग्न नहीं करना एवं वाहन रोके जाने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के डी.पी.मैटल्स के निर्णय की छाया का प्रयोग कर प्रत्येक बार घोषणा पत्र प्रस्तुत कर देना अनुमत नहीं है बल्कि ऐसे मामलों में केवल वहीं छूट दी जा सकती है जहां घोषणा पत्र विधिसम्मत Consignor को भेजा हुआ था एवं उनके द्वारा इसे पूर्ण भरकर परिवहन में दिया गया था परन्तु भूलवश वाहन के साथ दिया जाना किसी कारण से रह गया था।

23. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अलग-अलग प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर विधिक निर्णय दिये गये हैं जो निम्नांकित हैं एवं उनमें प्रत्येक प्रकरण की परिस्थिति अनुसार शास्ति विधिक या अविधिक मानी गयी है, जो निम्न प्रकार है :—

- (1) (2007) 28 एस.टी.टी. 131 मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, गंगापुरसिटी
- (2) 36 टैक्स अपडेट 37 मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम ए.सी.टी.ओ. उड़नदस्ता, बांसवाड़ा व अन्य;
- (3) (2011) 39 वी.एस.टी. 505 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—II, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर बनाम स्माइलेक्स फार्मास्यूटिकल्स;
- (4) 35 टैक्स अपडेट 49 मैसर्स सेरा टैक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाड़ी;
- (5) (2000) 120 एस.टी.सी. 212 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द जैन एण्ड कम्पनी

24. उक्त प्रकरण में यह प्रमाणित है कि कालातीत एवं अविधिक घोषणा पत्र के साथ माल का परिवहन जानबूझकर किया जा रहा था जबकि उनके पास पूर्व में ही विधिक घोषणा पत्र उपलब्ध थे एवं जांच होने पर शास्ति से बचाव के लिये प्रथम स्टेज पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय पेश कर शास्ति से बचाव चाहा है जो अपीलार्थी को इस प्रकरण में सहायता प्रदान नहीं करता है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

25. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की जाती है।

26. निर्णय सुनाया गया।


20/4/2017
(के. एल. जैन)
सदस्य